

Case No :- 15/2021
UcMS No :- 2021/37

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/7/21	<p>पत्रावली आज वकील प्रार्थी सोहनलाल के प्रार्थना पत्र पेश करने पर तलब की गई।</p> <p>उक्त प्रकरण में रसद विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 15/2021 सोहनलाल बनाम सरकार में दिनांक 2.2.2021 में पारित निर्णय अनुसार धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेश प्रकरण में जब्तसुदा वाहन अतुल टेम्पो संख्या आरजे 22 जीबी 3264 को 25000/- रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने अथवा रोकड़ जिला रसद कार्यालय में अमानत खाते में जमा कराने पर एवं सुपुर्दगी नामा पेश करने पर अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता नहीं है तो वाहन को ताफैसला हस्तान्तरण नहीं करने एवं वाहन के स्वरूप में बदलाव नहीं करने तथा रंगरोगन आदि किसी प्रकार का फेरबदल वाहन में नहीं करने की शर्तों पर वाहन रिहा किया गया था।</p> <p>प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध में एक निगरानी संख्या 13/2021 सोहनलाल बनाम सरकार माननीय सेशन न्यायालय, पाली (राज.) में पेश की गई जिसमें पारित निर्णय दिनांक 29.6.2021 के अनुसार आदेश दिनांक 02.02.2021 में अधिरोपित शर्त बाबत 25000/- रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने अथवा रोकड़ राशि जिला रसद कार्यालय में अमानत खाते में जमा कराने की शर्त को अपास्त किया जाकर निगरानीकर्ता द्वारा 25000/- रुपये का सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा इस न्यायालय द्वारा आदेश में वर्णित अन्य शर्तों की पालना करने बाबत प्रस्तुत करने पर निगरानीकर्ता को वाहन सुपुर्दगी नामे पर सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किए गए हैं। एवं पत्रावली लौटा दी गई है।</p> <p>प्रार्थी श्री सोहनलाल द्वारा माननीय सेशन न्यायालय पाली की पालना में 50 रुपये के स्टाम्प पर सुपुर्दगी नामा अमानतनामा मय तस्दीकसुदा शपथ पत्र के पेश कर दिया है। जिसे स्वीकार किया जाता है सभी दस्तावेजात शामिल मिसल किए जावे। पुलिस थाना ट्रांसपोर्ट नगर पाली को तहरीर जारी हो कि उक्त वाहन संख्या आरजे 22 जीबी 3264 की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता नहीं हो तो उसे सुपुर्दगीदार हैड कॉस्टेबल गोपाराम बेट नं. 1148 से प्राप्त कर प्रार्थी वाहन स्वामी सोहनलाल पुत्र बाबूलाल निवासी 81 बंजारों का बास पाली राज. को सुपुर्द किया जावे तथा प्राप्ति रसीद इस न्यायालय में तारीख पेशी दिनांक 26.7.2021 से पूर्व प्रेषित की जावे। पत्रावली मूल 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण संख्या 10/2021 के संलग्न की जावें।</p>	

जिला कलेक्टर, पाली